समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने तथा विहित प्रपत्र में सूचना समर्पित करने हेतु दिनांक 04.10.2013 एवं 05.10.203 की तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी की गयी थी। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई। उसके वावजूद श्री रामचन्द्र सिंह पे0 स्व0 नारायण सिंह सा0 नयाटोला थाना पुरैनी जिला मधेपुरा द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं विहित प्रपत्र में सूचना अंकित कर नहीं समर्पित किया गया, जिस कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 255/श0, दिनांक 12.12.2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली-1962 के नियम-63 एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्त -9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत एन.पी.बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0-01/1981(चौसा थाना) को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्पष्टीकरण अब तक समर्पित नहीं किया गया है और न ही अपना कोई पक्ष रखा गया है। स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी अपना पक्ष रखने के प्रति उदासीन हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि लोक सभा आम चुनाव-2014 के मद्देनजर इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 68/श0, दिनांक 03.03.2014 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को संबंधित थाना में उपस्थित होकर अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन दिनांक 14.03.14 एवं 15.03.14 को कराने का हेतु आम सूचना जारी की गई थी। अंचल अधिकारी/ थानाध्यक्ष, पुरैनी के संयुक्त प्रतिवेदन पत्रांक 134 दिनांक 19-03-14 एवं अं0अ0/थानाध्यक्ष, चौसा के संयुक्त प्रतिवेदन पत्रांक 118/निर्वा0, दिनांक 19.03.14 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि श्री रामचन्द्र सिंह द्वारा पुनः शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है। इस तरह अनुज्ञप्तिधारी को पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। थानाध्यक्ष, पुरैनी ने अपने पत्रांक 286/14 दिनांक 22.03.14 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि 6-7 वर्ष पूर्व अनुज्ञप्तिधारी का रायफल सं0-ए.बी.81-2564 डकैती में लूटा जा चुका है। वर्तमान में भी वे शस्त्र विहीन है। ऐसी स्थिति में इनकी अनुज्ञप्ति को रद्द करने की अनुशंसा की गई है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसकी विधिवत सूचना कार्यालय को नही की गयी है और न ही उक्त अनुज्ञप्ति पर दूसरा शस्त्र प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास किया गया है। स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी को शस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है और उन्हें जानमाल का खतरा नहीं है।

अतएव थानाध्यक्ष, पुरैनी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17 एवं अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9ए का उल्लंघन मानते हुए श्री रामचन्द्र सिंह पे0 स्व0 नारायण सिंह सा0 नयाटोला थाना पुरैनी जिला मधेपुरा के नाम से निर्गत एन.पी.बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0-01/1981(चौसा थाना) को तत्कालिक प्रभाव से "रद्द" किया जाता है। धारा-21 के अन्तर्गत श्री सिंह को आदेश दिया जाता है कि वे अपना मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त आदेश का तामिला थानाध्यक्ष, पुरैनी अपने स्तर से भी अनुज्ञप्तिधारी को करायेंगे। थानाध्यक्ष, पुरैनी एवं चौसा को निदेश दिया जाता है कि डकैती हुए रायफल सं0-ए.बी.81-2564 के भविष्य में बरामद होने पर थाना मालखाना में सुरक्षित रखेंगे तथा तत्क्षण इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी में "रद्द" प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे। मूल अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त होने पर उसमें भी इस आशय की सूचना प्रवृष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिला दंडाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक 228 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 22-4-14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, पुरैनी/चौसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री रामचन्द्र सिंह पे0 स्व0 नारायण सिंह सा0 नयाटोला थाना पुरैनी जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

22/04/14

जिला दंडाधिकारी,

मधेपुरा।